



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-04092025-265953
CG-CG-E-04092025-265953

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3937]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2025/भाद्र 12, 1947

No. 3937]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2025/BHADRA 12, 1947

रेल मंत्रालय
(द.पू.म. रेलवे)
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

बिलासपुर, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4042(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारिणी-1

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना	तहसिल	जिला
1	2	3	4	5
1.	उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजनंदगांव (छत्तीसगढ़)	डोंगरगढ़ और गोंदिया के मध्य चौथी रेलवे लाईन (84.10कि.मी.)/दपूमरे	डोंगरगढ़	राजनंदगांव

[फा. सं. डी.सी. ई/सी/एनजीपी/डी.जी.जी.—जी चौथी लाईन /7 ए/2]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C. Railway)****(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 2nd September, 2025

S.O. 4042(E).—In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the State of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE-1

S.No.	Competent Authority	Special Railway Project	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Rajnandgaon (Chhattisgarh)	4th line between Dongargarh-Gondia (84.10 Km)/SECR	Dongargarh	Rajnandgaon

[F. No. DCE/C/NGP/DGG-G 4th line/7A/2]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Const.)